



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2991 वर्ष 2026

फूल सागर
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : राजेश कुमार सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
- इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करना और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश में असंतुष्टि है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
- इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-उप मंडल अधिकारी, तहसील-मेजा, जिला प्रयागराज को मामला संख्या 3412/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या T202502030803412 का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार ही करे और जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

5 फरवरी, 2026
प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"